



2026:AHC:16267-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
दीवानी प्रकीर्ण पुनर्विलोकन आवेदन संख्या - 10 वर्ष 2024

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं 2 अन्यआवेदकगण
बनाम
मे० सिल्वरलाइन फर्निशिंग एण्ड फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेडप्रतिवादी

आवेदकगण के अधिवक्ता	:	आदित्य भूषण सिंघल
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	बिधान चन्द्र राय, कार्तिकेय सरन

न्यायालय संख्या - 42

माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा
माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

पुनर्विलोकन आवेदन खारिज किया जाता है।

आदेश के लिए, दीवानी प्रकीर्ण पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 6 वर्ष 2024 में पारित तारीख का हमारा आदेश देखें।

22 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

(न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा)

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*